R.M.M Law College - Saharsa.

(7) Manvendra Mandal part time Lecturer	Contract - 1	Date- 05-05-2020

संविदा क्या है?

What is Contract?

भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अंग्रेजी शासन काल में पारित हुआ था। यह अंग्रेजी कामन लॉ पर आधारित है यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण और निष्पादन तथा परिवर्तनीयता से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारण्टी, उपनिधान और गिरवी तथा अभिकरण जैसी विशेष प्रकार की संविदाओं से सम्बन्धित नियम निर्धारित करता है। संविदा लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकता है।

मानव जीवन में संविदाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति पग-पग पर किसी न किसी अन्य व्यक्तियों से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संविदा करता रहता है। संविदा विधि से मानव का संव्यवहार जहाँ मर्यादित बना रहता है वहीं पक्षकारों के बीच अधिकार दायित्व के निर्वहन के प्रति सचेत रखता है। आज-कल समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अविश्वास की भावना और धोखा देने की प्रवृति काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में संविदा की पवित्रता को बनाये रखना मुश्किल हो रहा है जो चिन्ता का विषय है। उसके बावजूद संविदाओं के बिना मानव जीवन चल नहीं सकता। संविदा विधि के महत्व को देखते हुए विधिवेत्ता टी० आर० देसाई ने कहा कि "संविदा विषयक विधि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन संविदा करता ही रहता है। अनुबन्ध, वचन, करार, संविदा आदि मनुष्य के दैनिक जीवनचर्या के अंग बन गये है।

प्रत्येक दिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने का वचन देता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, एवज में उन्हें प्रतिफल (consideration) भी मिलता है। वचनों का पाल

और प्रतिज्ञाओं का पालन करना व्यक्तियों का नैतिक कर्तव्य समझा जाता है। अतीत में वचनों के पालन की कोई वैधानिक मान्यता नहीं थी और पालन करने वाली ऐसी कोई कानून भी नहीं थी। 1872 से पूर्व भारत में संविदा से सम्बन्धित कोई विधि अस्तित्व में नहीं थी। यह अधिनियम भारत में 1 सितम्बर, 1872 से प्रभावशील माना जाता है। संविदा के सम्बन्ध में विलियम कोर्ले तथा रोबर्ट का मत है कि "जिस प्रकार सम्पत्ति एवं स्वामित्व की सुरक्षा एवं विधि पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यापारिक एवं वाणिज्यिक जगत की सुरक्षा व स्थिरता संविदा विषयक विधि पर निर्भर करती है।" संविदा की पवित्रता का महत्व स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय का कथन है- "विधिशास्त्र की सभ्य परम्परा में कपट एवं दुरभिसंधि पवित्र से पवित्र संव्यवहार को भी दूषित कर देती है। संविदा का इनसे परे होना अपेक्षित है।" उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विद्वानों के कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि संविदा क्या है?

संविदा का उद्देश्य एवं परिभाषा-

उद्देश्य:- संविदा एक विधि है जिसके द्वारा समान विचार वाले व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व, सृजित व प्रभावित होते हैं। जब एक व्यक्ति कुछ कार्य करने का सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा, दूसरे व्यक्ति से इस उद्देश्य से व्यक्त करता है कि वह अपनी सहमति दे, तो सहमति देने के पश्चात दोनों पक्षकारों में पारस्परिक समझौता हो जाता है, जिसे करार (agreement) भी कहते हैं। करार संविदा का आरम्भ तत्व है, बशर्ते कि यह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो। संविदा विधि के द्वारा पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व का निर्धारण किया जाता है।

परिभाषा (Definition)-

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 (ज) में

Scanned with CamScanner

संविदा को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त विधिवेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है :- ऐन्सन (Anson) के अनुसार- "संविदा विधि, विधि की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को अवधारित करती है जिनमें प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य होता है। ("The Law of Contract is that branch of law which determines the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it")

संविदा अधिनियम की धारा 2 (ज) के अनुसार- "विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है" (An Agreement enforceable by law is a Contract") उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है वही संविदा है, इसके विपरीत जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता है।

संविदा में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि व्यावसायिक सेवायें (Professional services) सम्मिलित नहीं है। यदि कोई चिकित्सक रोगी के प्रति लापरवाही (negligence) बरतता है तो वह मामला संविदात्मक दायित्व का नहीं होकर दुष्कृतिजन्य दायित्व का होगा।